संख्या-20/2018/540/71-3-2018-एन0एम0-1/2018

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 14 जुलाई, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर के निर्माण कार्य की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत मीरजापुर के जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 है।

2- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, मीरजापुर के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 12-07-2018 में अनुमोदित लागत रू0 23297.28/- लाख (रू0 दो अरब बत्तीस करोड़ सत्तानवे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड मात्र) केन्द्रांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय तथा प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
3. प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देख-रेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. महानिदेशक द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।
12. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार Letter of Priority के अनुरूप कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का होगा।
13. प्रायोजनान्तर्गत 24281.40 घन मीटर मिट्टी भराई हेतु रू0 109.75 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी परंतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति नहीं होने के कारण इस मद में एकमुश्त रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में महानिदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी भराई हेतु अवशेष प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग से कराकर मिट्टी भराई के कार्य पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक बढी हुई मानी जायेगी।
14. प्रायोजनान्तर्गत महिला हास्पिटल की पुरानी बिल्डिग के डिस्मेटलिंग का प्राविधान किया गया है। अत: डिस्मेटलिंग से प्राप्त मलवा से प्राप्त धनराशि को राजकोष में सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्रायोजनान्तगर्त सबस्टेशन उपकरण, डी0जी0सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, साउण्ड, स्टेज, लाइटनिग एवं स्टेज कर्टेन सिस्टम, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडूलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0डी0एस0 उपकरण, लॉड्री उपकरण, किचन उपकरण, इन्सीनेटर, कम्प्यूटर नेटवर्किंग ई0पी0बी0एक्स0 की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें तथा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
16. प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अत: प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।
17. प्रायोजना प्रस्ताव में अन्डर ग्राउण्ड टैंक, लेबलिंग, आन्तरिक रोड एवं पाथवे, सीवर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्ट्राम वाटर, ड्रेन, हार्टीकल्चर एवं साइन बोर्ड की लागत सी0पी0डब्ल्यू0डी0 प्लिन्थ एरिया रेट के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी।
18. प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
19. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव की लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

20. प्रायोजना अन्तर्गत कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर में लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।
21. वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 की व्यवस्थानुसार व्यय के प्रस्ताव तथा व्यय वित्त समिति द्वारा प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. स्वीकृत धनराशि का आहरण प्राप्त केन्द्रांश की राज्य के खाते मे जमा होने की पुष्टि के पश्चात किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1640/दस-2018, दिनॉक 14 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

संख्या:-20/2018/540(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल, मीरजापुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in